[1][धारा 168क : केन्द्रीय सरकार की विशेष परिस्थितियों में समय–सीमा बढ़ाने की शक्ति

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा परिषद् की सिफारिश पर, ऐसी कार्रवाईयों के संबंध में, जो असाधारण घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं या जिनका पालन नहीं किया जा सकता है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय–सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''असाधारण घटना'' पद से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या प्राकृतिक कारणों से या इस अधिनियम के क्रियान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाली कोई अन्य आपदा अभिप्रेत है।]

---

1 कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 38) द्वारा धारा 168क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.03.2020)।